न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 62/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023/61

अपीलाण्ट्स :–		रेस्पोडेण्ट्स :–
1. बगदाराम पुत्र मानाराम 2. जसाराम पुत्र मानाराम 3. चुन्नीलाल पुत्र मानाराम 4. सका पुत्र नगाजी समस्त जातिगण सीरवी निवासीगण कोटड़ी तहसील देसूरी जिला पाली राज.	बनाम	1. मना पुत्र खरता 2. काना पुत्र रताजी 3. देवी पत्नी कानाजी समस्त जातिगण सीरवी, निवासीगण कोटड़ी तहसील देसूरी जिला पाली राज. 4. भूमिधारी तहसीलदार देसूरी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सपठित धारा 10 सि.प्र.स. बजतरफ रेस्पोडेण्ट

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीप दवे।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मूलसिंह यादव।

–:निर्णय:–

दिनांकः 03.02.2025

आज यह पत्रावली रेस्पोडेण्ट द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 एवं 11 के अन्तर्गत वास्ते निणयार्थ प्रस्तुत हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट की संयुक्त खातेदारी की मौजा कोटड़ी, तहसील देसूरी स्थित खसरा संख्या 840, 841, 847, 848, 850 कुल खसरा 05 कुल रकबा 12.7100 हैक्टेयर के संबंध में राजस्व लोक अदालत कैम्प 2015 में आपसी सहमति से हुए बंटवारे एवं तहसीलदार की स्वीकृति आदेश 14.07.2015 का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया एवं इस संबंध में विभिन्न न्यायालयों में चाराजोही विचाराधीन है, किन्तु तहसीलदार देसूरी द्वारा बंटवाडा आदेश दिनांक 14.07.2015 के विरुद्ध बिना किसी राजस्व न्यायालय के न्यायिक आदेश के विवादग्रस्त भूमि का जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 872 दिनांक 15.01.2018 के माध्यम से बंटवाडा कर दिया गया, अतः उक्त नामान्तरकरण को अपास्त किया जाए।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को तलब किया गया। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सपठित धारा 10 सि.प्र.स. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नगत कृषि भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा आदेश राजस्व लोक अदालत कैम्प 2015 में तहसीलदार देसूरी द्वारा दिनांक 14.07.2015 को पारित किया गया, जिसकी अपील प्रार्थी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 मना ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत (पूर्व क्षेत्राधिकार न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग, पाली) की, जिसमें दिनांक 26.07.2018 को निर्णय करते हुए न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार देसूरी के बंटवारा आदेश दिनांक 14.07.2015 को निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय दिनांक 26.07.2018 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा एक निगरानी प्रकरण संख्या 5892/2018 न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत कर रखी है। यह कि, अपीलार्थीगण को श्रीमान के न्यायालय में निर्णीत अपील एवं राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन निगरानी की जानकारी होते हुए भी पुनः उक्त वादग्रस्त भूमि की अपील श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत

अति. जिला कलक्टर
पाली (पाली)

P.T.O

CamScanner

की, जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 एवं 11 के तहत कानूनन विधि विरुद्ध होने से उक्त अपील काबिल खारिज है।

उक्त प्रार्थना पत्र का अपीलाण्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रश्नगत अपील में धारा 10 एवं धारा 11 सी0पी0सी0 किस आधार पर लागु होती है उसका कोई उल्लेख रेस्पोडेण्ट द्वारा विचाराधीन प्रार्थना पत्र में जानबूझकर नहीं किया गया, जबकि धारा 10 वाद का रोक दिया जाना व धारा 11 पूर्व न्याय के आधार पर निर्धारित है। इस कारण दोनो प्रावधान उक्त अपील में लागू नहीं होते हैं। रेस्पोडेण्ट द्वारा सम्पूर्ण आवेदन में कही उल्लेख नहीं किया कि नामान्तरकरण संख्या 872 तहसीलदार देसूरी व अधीनस्थ राजस्व कार्मिकों ने किस आदेश के आधार पर दर्ज किया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 872 में दर्ज कोई आदेश आज दिनांक तक अस्तीत्व में नहीं है तथा रेस्पोडेण्ट ने ऐसा कोई आदेश माननीय न्यायालय में पेश नहीं किया। इस कारण राजस्व मण्डल अजमेर में पेश निगरानी आदेश दिनांक 26.07.2018 के विरुद्ध पेश की हुई है तथा नामान्तरकरण संख्या 872 किस आधार पर व किस आदेश से एवं किस न्यायालय के निर्णय की पालना में दर्ज किया, उसका कोई उल्लेख दर्ज नहीं है। इसी प्रकार पूर्व में कोई पूर्व निर्णय पारित नहीं है। इस कारण रेस्पोडेण्ट द्वारा पेश प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सपठित धारा 10 सि.प्र.स. पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा एक अपील प्रकरण संख्या 08/2018 दिनांक 26.07.2018 को निर्णीत की थी, जो कि समान भूमि के संबंध में एवं समान पक्षकारों के मध्य थी। उक्त निर्णय दिनांक 26.07.2018 के विरुद्ध अपीलाण्ट द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में एक निगरानी प्रकरण संख्या 5892/2018 प्रस्तुत कर रखी है जो कि आंदिनाक जैर सुनवाई लम्बित है। इस प्रकार हस्तगत नामान्तरकरण अपील सीविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 एवं 11 में अन्तर्निहित सिद्धान्तों से बाधित होने के कारण खारिज की जाए।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस के दौरान निवेदन किया कि हस्तगत नामान्तरकरण अपील नामान्तरकरण संख्या 872 स्वीकृति दिनांक 15.01.2018 को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है जबकि पूर्व अपील प्रकरण संख्या 08/2018 बंटवारा आदेश दिनांक 14.07.2015 से संबंधित है, अर्थात् विषयवस्तु समान नहीं होकर भिन्न है, तथा उक्त अपील संख्या 08/2018 में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2018 के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार विषयवस्तु भिन्न होने से सि.प्र.स.की धारा 10 एवं 11 के प्रावधान हस्तगत अपील पर लागू नहीं होते हैं, अतः रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए।

हस्तगत अपील के संबंध में सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु को निर्धारित किया जाना है। अपीलार्थी ने अपील के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैर आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 872 दिनांक 15.01.2018 की जानकारी प्रथम बार दिनांक 20.07.2023 को होने एवं इस प्रकार अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत करने से कालावधि दिनांक 15.01.2018 से 28.07.2023 की देरी का उपशमन (Condone) कर अपील को मियाद शुमार माना जाए। रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। लिहाजा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को मियाद शुमार घोषित किया जाता है।

विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सपठित धारा 10 सि.प्र.स. पर अधिवक्तागण की बहस को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में न्यायालय हाजा के पूर्व क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) केम्प कोर्ट, बाली में दर्ज एवं निर्णीत प्रकरण संख्या 08/2018

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

के निर्णय दिनांक 26.07.2018 का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं विवेचन किया गया। उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट के रुप में संयोजित पक्षकार तथा हस्तगत अपील में रेस्पोडेण्ट एवं अपीलाण्ट के रुप में संयोजित पक्षकार समान हैं। साथ ही, पूर्वोक्त अपील प्रकरण संख्या 08/2018 में अपील की विषयवस्तु के रुप में मौजा कोटडी के उन्हीं कुल पांच खसरा संख्या 840, 841, 847, 848, एवं 850 कुल रकबा 12.7100 हैक्टेयर के संबंध में चाराजोही की गई है, जो हस्तगत अपील में भी विवादग्रस्त आराजी के रुप में विवेचित है। अर्थात पूर्वोक्त अपील प्रकरण संख्या 08/2018 एवं हस्तगत विचाराधीन अपील में विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकार समान है। दोनों अपीलों में विवाद की मूल विषयवस्तु उपरोक्त शामलाती आराजी के विभाजन से संबंधित ही है। जहां पूर्व अपील प्रकरण संख्या 08/2018 में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी के बंटवारा आदेश दिनांक 14.07.2025 को चुनौति दी गई थी, वहीं हस्तगत विचाराधीन अपील में नामान्तरकरण संख्या 872 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा वादग्रस्त आराजी को सह–आसामियों के मध्य विभाजन किया गया है।

सि.प्र.स. की धारा 11 "पूर्व न्याय के सिद्धान्त" को निम्नानुसार उपबन्धित करती है– **"कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के, या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन में या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद बाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रुप से विनिश्चित किया जा चुका है"**

चूंकि दोनो अपीलों में विनिश्चयन हेतु प्रस्तुत मूल विषयवस्तु विवादग्रस्त आराजी के बंटवारे से ही संबंधित है, अतः न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.07.2018 को पूर्व निर्णीत अपील प्रकरण संख्या 08/2018 एवं विचाराधीन अपील प्रकरण संख्या 62/2023 में मुख्य विवाद्य विषयवस्तु सारतः समान है।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के मूल उदेश्य के सन्दर्भ में **माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा सिविल **अपील 636/1975** बउनवान 'Lal Chand By L Rs & Others Vs. Radha Kishan में प्रदत्त निर्णय दिनांक 17.12.1976 को उद्धृत करना प्रांसंगिक है, जिसमें माननीय न्यायालय ने धारा 11 के मूल उदेश्य (Object) के संबंध में प्रतिपादित किया है कि **"..............The Principle of res judicata is conceived in larger public Interest which requires that all litigation must, sooner than later, come to an end. The principle is also founded on equity, justice and good conscience which requires that a party which has once succeded on an issue should not be permitted to be harassed by a multiplicity of Proceedings involving determination of the same issue.(....) "**

अपीलार्थी द्वारा पूर्व निर्णीत अपील संख्या 08/2018 में मुतनाजा आराजी के संबंध में समान पक्षकारों के विरुद्ध एवं उसी आराजी से संबंधित अपील पुनः उसी न्यायालय में प्रस्तुत करना वाद बाहुल्यता बढ़ाने की श्रेणी में आता है, जबकि उक्त अपील में प्रदत्त निर्णय दिनांक 26.07.2018 के विरुद्ध अपीलार्थीगण ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में भी निगरानी प्रस्तुत कर रखी है, जो कि प्रकरण संख्या 5892/2018 के रुप में दर्ज होकर जैर विचाराधीन है। अपीलार्थीगण से यह अपेक्षित था कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन

अति. जिला कलक्टर
...री (पाली)

P.T.O

CamScanner

निगरानी प्रकरण संख्या 5892/2018 में न्यायालय के समक्ष आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 872 की वैधता का प्रश्न उठाते।

अतः सम्पूर्ण तथ्यों के आलोक में एवं उपरोक्तानुसार विश्लेषण उपरान्त न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत नामान्तरकरण अपील (प्रकरण) संख्या 62/2023 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में प्रतिपादित 'पूर्व न्याय के सिद्धान्त' से बाधित है। अतः रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं हस्तगत नामान्तरकरण अपील सि.प्र.स. की धारा 11 के उपबन्धों से बाधित होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली